न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पेठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
विविध प्रा0पत्र सं0 5/17
फैसला दिनांकः–05.04.2018

1. प्रहलादसिंह पुत्र छोगसिंह जाति बड़वा नि0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दाराम पुत्र मानाराम जाति बलाई नि0 नयाबास तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर
2. मदनलाल पुत्र कानाराम जाति बलाई नि0 कटराथल तह0 सीकर जिला सीकर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 251 ए रा0टी0ऐक्ट

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन या कि खं0नं0 312 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 313 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा ता 2 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0 आसलपुर अ0नि0क्षे0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जेंकाश्त खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी में आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के स नहीं है तथा प्रार्थी आयेदिन अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजीयात पर आने ने हेतु परेशान होता है तथा अपनी उक्त आराजीयात पर काश्त हेतु टेक्ट्रर व अन्य धन लाने ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिस कारण से प्रार्थी आयेदिन न व परेशान रहता है तथा खं0नं0 259 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा अप्रार्थीगण की तेदारी की भूमि है जिसमें मार्क ए से बी खं0नं0 259 के दक्षिणी सीमा पर र्थीगण की खातेदारी से होकर प्रार्थी के लिए सबसे सुविधाजनक व नजदीकी ता है एंव प्रार्थी के पास उक्त मार्क ए से बी के अलावा कोई भी सूरत में नजदीकी ल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने हेतु उक्त रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है। जो प्रार्थी को दिलवाया र खं0नं0 259 में से मार्क ए से बी 20 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब गया। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व रफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी सं0 1 की अखबार साया से करवायी गयी फिर भी अप्रार्थी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के ा उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार फुलेरा की द्वारा चाहे गये रास्तें के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा प्राप्त हुयी जो शामिल ली की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी एंव रास्तें का रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार फुलेरा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के कन से यह तथ्य साफ जाहिर है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की ीयात खं0नं0 312 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 313 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा 2 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0 आसलपुर

Scanned by CamScanner

भू0अ0नि0क्षे0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमें आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है एंव उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 259 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा जो कि अप्रार्थीगण की काश्त की भूमि है जिसमें से प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खं0नं0 259 के दक्षिणी सीमा पर से बी 20 फुट चौड़ा 33 फुट लम्बाई में 660 वर्ग फुट यानी 1 विस्वा रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व नजदीकी व सुलभ रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 259 के दक्षिणी सीमा पर मार्क ए से बी 20' चौड़ा 33 फुट लम्बाई में 660 वर्ग फुट यानी 1 विस्वा रास्ता आने जाने हेतु दिया जाना न्यायोचित पाता हूँ इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी ी खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 312 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 313 रकबा बीघा 7 विस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0 ासलपुर भू0अ0नि0क्षे0 आसलपुर तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है पर आने जाने तु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 259 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा कै ग्राम आसलपुर तह0 फुलेरा के दक्षिण सीमा पर मार्क ए से बी 20 फुट चौड़ा 33 ट लम्बाई में 660 वर्ग फुट यानी 1 विस्वा रास्ता दिया जाता है इसलिए तहसीलदार लेरा की रिपोर्ट दिनांक 25.05.17 के मुताबिक 1 विस्वा आराजी की डी0एल0सी0 की ुनी राशि प्रार्थी से जमा कर रास्तें को राजस्व रिकोर्ड व नक्शें में दर्ज करें तथा बन्धित अप्रार्थीगण को जमा राशि का उनके रिकोर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार भुगतान रें। इस बाबत तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर द तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को खुल्ले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर ाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साम्भर लेक

उपखण्ड अधिकारी
साम्भर लेक

Scanned by CamScanner